संख्या- 828 /18-4-2025

प्रेषक,

आलोक कुमार

अपर मुख्य सचिव,

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग- 4 लखनऊ: 06 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर 2025

विषयः- गेटवे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गए माल के भाड़े पर अनुदान योजना।

महोदय,

उत्तर प्रदेश के भूआच्छादित राज्य होने के कारण निर्यात उत्पादों को बन्दरगाहों तक ले जाने में प्रदेश के निर्यातकों को समुद्र के किनारे स्थित राज्यों के निर्यातकों की अपेक्षा माल के भाड़े के रूप में अपेक्षाकृत अधिक लागत वहन करनी पड़ती है, जिसके कारण प्रदेश के विभिन्न अंचलों में पारम्परिक उत्पादन कौशल होते हुए भी निर्यात का विकास वांछित स्तर का नहीं हो पाता है। उक्त के दृष्टिगत निर्यातकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से शासनादेश सं0-668/18-4-2008-10 (बजट) /2007, दिनांक 06-02-2008 द्वारा गेटवेपोर्ट तक निर्यात हेतु माल के भाड़े पर अनुदान योजना प्रारम्भ की गयी है। तत्क्रम में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के क्रम में वर्तमान में राज्य निर्यात नीति 2020-25 के अंतर्गत प्रभावी शासनादेश संख्या 298/18-4-2022-10 (बजट) /07 दिनाँक 13 मई 2022 के द्वारा प्रदेश के निर्यातकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है।

शासनादेश संख्या 684/18-4-2025/18-4099/31/2025 दिनांक 03 सितम्बर 2025 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 में उल्लिखित दिशा निर्देशों के क्रम में योजनान्तर्गत पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए "गेटवे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गए माल के भाड़े पर अनुदान योजना" के अन्तर्गत दावों को ऑनलाइन दाखिल किये जाने की प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए निम्नानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम श्रेणी की समस्त औद्योगिक इकाईयों को, उत्पादन स्थल से गेटवे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे जाने वाले माल के भाड़े पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु इनलैण्ड कन्टेनर डिपो, कन्टेनर फ्रेट स्टेशन, ट्रक एवं कुछ भाग ट्रक तथा शेष भाग इन्लैण्ड कंटेनर डिपो के माध्यम से भेजे जाने पर 20 फिट कन्टेनर पर ₹ 20,000/- तथा 40 फिट कन्टेनर पर ₹ 40,000/- अथवा माल के भाड़े पर किये गये कुल व्यय का 30 प्रतिशत (जो भी कम हो) की

दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। योजनान्तर्गत किसी निर्यातक इकाई को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम ₹ 30.00 लाख की कुल आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी।

2. इसके अतिरिक्त छोटी निर्यातक इकाईयाँ जिनका विगत 03 वर्षों में औसत वार्षिक निर्यात मूल्य ₹ 5 करोड़ या कम है, द्वारा ICD या CFS के माध्यम से गेटवेपोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गये कंटेनर लोड से कम (एल.सी.एल.) शिपमेंट्स के लिए निर्यातक इकाई को वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।

3 . गेटवेपोर्ट के अंतर्गत समुद्री बन्दरगाहो के अतिरिक्त वे शुष्क बंदरगाह (ड्राई पोर्ट) भी सम्मिलित है, जिनसे होकर प्रदेश के निर्यातकों द्वारा पड़ोसी देशों को निर्यात किये जाने वाले ट्रक/कन्टेनर गुजरते हैं अथवा भेजे जाते हैं।

5. योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता हेतु निर्यातक इकाई द्वारा पोर्टल पर दावे के ऑनलाईन आवेदन करने, उपायुक्त उद्योग द्वारा दावे का परीक्षण कर निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश को संस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

(1.) निर्यातक इकाई द्वारा कन्साईनमेन्ट निर्यात हेतु विदेशी क्रेता को भेजे जाने के उपरान्त, शिपमेन्ट की तिथि से अधिकतम 180 दिनों के अन्दर, अपना दावा विभाग के पोर्टल पर ऑनलाईन फाईल कर दिया जायेगा। उक्त अवधि के पश्चात फाईल किये जाने वाले दावे स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(2.) निर्यातक इकाई द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय अपने दावे के साथ समस्त वांछित अभिलेखों की प्रतियाँ अपलोड की जानी होंगी।

(3.) इकाई द्वारा ऑनलाइन आवेदन की तिथि से 15 दिवसों की अवधि तक आवेदन-पत्र में हुई त्रुटियाँ स्वयं संशोधित की जा सकेंगी। उक्त 15 दिवसो की अवधि के उपरान्त दावा जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र के पोर्टल पर प्रदर्शित होने लगेगा। उपायुक्त द्वारा जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र के पोर्टल पर योजनान्तर्गत दावों के प्रदर्शित होने की तिथि से 21 दिवसों की अवधि में पूर्ण पाये गये दावों का परीक्षण कर संस्तुति सहित निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ0प्र0 लखनऊ को अग्रसारित किया जायेगा।

(4.) अपूर्ण पाये गये दावों की स्थिति में उपायुक्त उद्योग द्वारा पोर्टल पर दावे की अपूर्णता एवं उसका विवरण अंकित जायेगा। अपूर्ण दावों से संबंधित अभिलेख निर्यातक इकाई द्वारा 15 दिवसों में अपलोड किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा की स्थिति में दावा स्वतः निरस्त हो जायेगा। इकाई द्वारा अपूर्ण दावों के संबंध में औपचारिकताओं को पूर्ण किये जाने पर उपायुक्त उद्योग द्वारा 21 दिवसो की अवधि में दावे का परीक्षण कर निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ0प्र0 लखनऊ को अग्रसारित किया जायेगा।

(5.) उपायुक्त उद्योग द्वारा 21 दिन की निर्धारित समय सीमा में निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को दावा अग्रसारित न किये जाने अथवा दावे में अपूर्णता की स्थिति में दावा इकाई को रिवर्ट न किये जाने पर दावे स्वतः निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को अग्रसारित हो जायेंगे। निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा इस सम्बन्ध में दायित्व निर्धारित करते हुए सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(6.) निर्यातक इकाईयों द्वारा ऑनलाइन फाईल किये गये ऐसे दावे , जो योजनान्तर्गत पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं, को उपायुक्त उद्योग द्वारा निरस्तीकरण के कारणों का उल्लेख करते हुए निरस्त किए जाने की संस्तुति सहित निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को अग्रसारित किये जायेंगे।

(7.) उपायुक्त उद्योग से अग्रसारित दावों पर स्पष्ट संस्तुति होने पर निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो , उ0प्र0 लखनऊ द्वारा 15 दिवस में दावे को ऑनलाइन प्राप्त किया जायेगा। निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा दावे को ऑनलाइन प्राप्त करने पर दावा एजेण्डे में सम्मिलित हो जायेगा, जिसे योजनान्तर्गत प्राधिकृत समिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

6. निर्यातक इकाईयों द्वारा दावों को ऑनलाइन फाइल किये जाने की प्रक्रिया , दावों के परीक्षण करने हेतु निर्यातक इकाई द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले अभिलेखों का निर्धारण एवं इसमें संशोधन का अधिकार प्राधिकृत समिति में निहित होंगे। योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाले दावों/आवेदन पत्रों को स्वीकृत करने का अधिकार निम्नानुसार गठित प्राधिकृत समिति में निहित होगा:-

1	निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष
2	आयुक्त/अपर आयुक्त, व्यापार कर एवं जी.एस.टी. विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
3	निदेशक, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
4	प्रतिनिधि, कन्टेनर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया	सदस्य
5	वित्त नियंत्रक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश	सदस्य
6	निदेशक, उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद	सदस्य
7	सम्बन्धित जनपद के उपायुक्त उद्योग	सदस्य
8	अपर/संयुक्त निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश	सदस्य सचिव

7. योजनान्तर्गत निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को प्राप्त होने वाले समस्त दावे स्वीकृति हेतु उक्तानुसार गठित प्राधिकृत समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे। योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाले दावों की स्वीकृति प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर की जायेगी तथा बजट उपलब्धता के आधार पर आर्थिक सहायता का अन्तरण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किया जायेगा। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाले दावों का भुगतान उपलब्ध बजट की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा। अवशेष दावों को अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेनीत किये जाने के सम्बन्ध में यथोचित निर्णय लिए जाने के अधिकार प्राधिकृत समिति में निहित होंगे।

8. पात्र निर्यातक इकाईयों को इस योजना हेतु आर्थिक सहायता तभी अनुमन्य होगी यदि निर्यातक इकाईयों द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा समान उद्देश्य हेतु संचालित किसी अन्य योजना से समान प्रकृति का पूर्ण या आंशिक लाभ न लिया गया हो।

9. राज्य द्वारा प्रायोजित/निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद के माध्यम से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रीय मेलों/इवेंट्स में प्रतिभाग करने वाली इकाईयों को योजनान्तर्गत दावों के भुगतान के समय प्राथमिकता दी जायेगी।

10. यह सुविधा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 द्वारा समय-समय पर परिभाषित उत्तर प्रदेश की समस्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम श्रेणी की ऐसी निर्यातक इकाईयों

को उपलब्ध होगी जो कार्य संपादन के समय निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश व उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद में पंजीकृत होंगी।

11. यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि इकाई द्वारा योजनान्तर्गत अनुमन्य आर्थिक सहायता का दुरूपयोग किया गया है अथवा जानबूझ कर गलत तथ्य/विवरण प्रस्तुत किये गये हैं अथवा छिपाये गये हैं तो इकाई से सम्पूर्ण धनराशि राजस्व देयों की भांति वसूल की जायेगी तथा इकाई को काली सूची में डालते हुए भविष्य में किसी भी प्रकार की शासकीय आर्थिक सहायता हेतु अपात्र घोषित कर दिया जायेगा।

12. शासनादेश में किये गये प्राविधानों की व्याख्या अथवा स्पष्टीकरण के अधिकार योजनान्तर्गत गठित प्राधिकृत समिति में निहित होंगे।

13. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

Digitally signed by
ALOK KUMAR
Date: 05-11-2025
15:02:26

भवदीय,

(आलोक कुमार)
अपर मुख्य सचिव

संख्या-[illegible](1)/18-4-2025, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन/ निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उ0प्र0।
2. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ0प्र0 कानपुर।
3. आयुक्त/अपर आयुक्त, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
4. प्रबन्ध निदेशक, कन्टेनर कारपोरेशन आफ.इण्डिया।
5. वित्त नियंत्रक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश
6. निदेशक, उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद, लखनऊ
7. समस्त परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश
8. समस्त उपायुक्त, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, उत्तर प्रदेश।
9. अपर निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उ0प्र0।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

गेटवेपोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गये माल के भाडे पर अनुदान योजना

(शासनादेश संख्या - 828/18-4-2025 दिनांक 06 नवंबर 2025)

अनुलग्नक 1

आवेदन पत्र का प्रारूप

निर्यातक इकाई का नाम Name of the Exporting Unit	
निर्यातक इकाई का प्रकार Type of Exporting Unit (Merchant/Manufacturer)	
आयातक–निर्यातक कोड संख्या IEC Number	
पंजीकरण संख्या Registration Number • निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उ0प्र0 (EPBUP) • उ0प्र0 निर्यात संवर्धन परिषद (UPEPC) • उद्यम (Udyam)	
ऑनलाईन आवेदन की तिथि Date of Online Application	
शिपिंग बिल संख्या और दिनांक Shipping Bill Number & Date	
निर्यात की तिथि LEO date	
बिल आफ लेडिंग संख्या और दिनांक Bill of Lading Number & Date	
शिपमेंट में निर्यात की गयी वस्तुयें Goods Exported in Shipment (HSN Code at 8 digit)	
गेटवे पोर्ट तक शिपमेंट का माध्यम Mode of Shipment to Gateway Port (Road/ICD/Both)	

i. आईसीडी के माध्यम से गेटवे पोर्ट तक भेजे गए शिपमेंट (एफ.सी.एल)का विवरण

Name of the Importing Unit	Commodity Exported	ICD/CFS	Destination Country	Exporter Invoice No. and Date	Containers Detail			Shipping Bill No. and Date	Bill of Lading	Transportation (Freight) Cost (whichever is applicable)				
					Size (20/40 Feet)	Container No	Shipment Date			Factory to ICD	ICD to Gateway Port (by rail)	Factory to Gateway Port (by road)	Basic Freight Amount (11+12+13)	Total Cost (Including all charges)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

ii. आईसीडी के माध्यम से गेटवे पोर्ट तक भेजे गए शिपमेंट (एल.सी.एल)का विवरण

Name of the Importing Unit	Commodity Exported	ICD/CFS	Destination Country	Exporter Invoice No. and Date	Containers Detail			Shipping Bill No and Date	Bill of Lading	Basic Freight Amount Incurred		
					Size (20/40 Feet)	Container No	Shipment Date			No of CBMs for which subsidy is being claimed	Per CBM Cost	Total Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

<u>निर्यातक इकाई से प्राप्त किए जाने वाले ₹10 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र का प्रारूप</u>

उपायुक्त उद्योग,

जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र,

....

प्रमाणित किया जाता है कि

1. गेटवे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गए माल के भाड़े पर अनुदान हेतु आवेदन करते समय, आवेदक इकाई मे० .... योजनान्तर्गत प्रभावी शासनादेश संख्या **<u>शासनादेश संख्या</u> <u>- 828/18-4-2025 दिनांक 06 नवंबर 2025</u>** के बिन्दु संख्या 10 – " *योजनान्तर्गत प्राप्त की जाने वाली सुविधा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 द्वारा समय-समय पर परिभाषित उत्तर प्रदेश की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम श्रेणी की ऐसी निर्यातक इकाईयों को प्राप्त होगी जो आवेदन करने के समय निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ०प्र०व उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद में पंजीकृत होंगी*" से आच्छादित है।
2. आवेदक इकाई द्वारा प्रस्तुत दावों हेतु किसी अन्य योजना में लाभ प्राप्त नही किया गया है।
3. आवेदक इकाई एम०एस०एम०ई० श्रेणी की है।
4. उपरोक्त आवेदन में दी गई जानकारी मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण और सही है, और कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई नहीं गई

अधिकृत हस्ताक्षरी

मे० ....

अनुलग्नक III

सत्यापन "रिपोर्ट"

(आईसीडी/सीएफएस द्वारा दिया गया)

निर्यातक इकाई .... (........आईईसी कोड.......) की मेसर्स .... के दावा प्रपत्र में दी गई जानकारी का अभिलेखों से सत्यापन किया गया है और वह सही पाई गई है।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता:

नाम:

डाक:

(पते सहित आईसीडी/सीएफएस का विवरण)

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

This is to certify that M/s. …………… (Exporting Unit Name and Address) ……………. have incurred total expenses of INR. Rs. …………… towards freight paid to the transporter/concor in connection with their Export Shipment as per following details -

Sr. No.	Container No.	Inv No. & Date	Invoice Amount SB No. & Date	BL/ FCR No.	BRC Amount	Freight Amount (without GST)	Total Amount of Freight Bill
1							
2							

The above statement has been prepared on the basis of books of accounts, other documents, information & explanation given to use for this certificate.

Place: …………….

Dated: …………………….

UDIN: ………………………….

For - ………… CA Firm Name……………..

ICAI Firm Reg No. - ………………..

(CA Name)
Partner Membership No. - ……..